

प्रपत्र-7


बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) अधिनियम 2010 के अन्तर्गत धारा 4 उप-धारा (1) के अन्तर्गत सम्परिवर्तन की अनुमति का प्रमाण-पत्र

सक्षम प्राधिकार द्वारा बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) अधिनियम 2010 की धारा-4 उप-धारा (1) के अन्तर्गत निम्नवर्णित कृषि भूमि के गैर कृषि प्रयोजन से सम्परिवर्तन की अनुमति प्रदान की जाती है।

भूमि का विवरण :-

1	जिला का नाम	पटना				
2	अनुमण्डल का नाम	पालीगंज				
3	अंचल का नाम	पालीगंज				
4	रैयत का नाम	बेबी कुमारी				
5	राजस्व ग्राम का नाम	इजरता				
6	राजस्व थाना संख्या	314				
7	खाता संख्या	7, 8, 10				
8	खेसरा संख्या	430, 426, 431, 495				
9	गैर कृषि प्रयोजन में प्रयुक्त किया जाने वाला रकवा	0.74 डी0				
10	चौहद्दी	प्लॉट सं०	उत्तर	दक्षिण	पूरब	पश्चिम
		426	श्रवण सिंह	राजनन्दन सिंह	रामअवधेश सिंह	निज
		431	श्रवण सिंह	श्रवण सिंह	निज	आहर
		430	बेबी कुमारी	राजनन्दन सिंह	भागवत सिंह	राजनन्दन सिंह
		495	बेबी कुमारी	राजीत कुमार	श्रवण कुमार	आहर
11	गैर कृषि प्रयोजन का प्रकार	प्रशैक्षणिक संस्थान				
12	सम्परिवर्तन के उपरान्त देय वार्षिक लगान/सेस	जमाबंदी के अनुसार				

वा.सं. - 114


 29/05/15
 अनुमण्डल प्राधिकारी
 पालीगंज (पटना),
 पालीगंज।

क्रमांक 14

445991

बिन्दु संख्या वर्ष 2015/16

किससे प्राप्त हुआ
पति - बालकृष्ण चन्द्र मोहन - आशुतोष शर्मा - माला देवी पत्नी
किस मदे

अथवा - श्री सम्पत्ति परिवर्तन
मौ विद्या मा दुःस्य विद्या के निमित्त का लेन
पण

₹ 3,25,600/-

रकम

रकम के रूप में

कुल / तीन लाख पच्चीस हजार दस (₹ 3,25,600/-)
रकम (केवल रूप में) (बैठे)

प्राप्त करनेवाला व्यक्ति का पति।

दिनांक 29/5/18